

कार्यालय आयकर निदेशक (छूट),

OFFICE OF THE DIRECTOR OF INCOME TAX (EXEMPTION) दसरी मंजिल, नेचर व्यू बिल्डिंग, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 2ND Floor, Nature View Building, Ashram Road, Ahmedabad

(Tele & Fax: 26584551)

फा.सं. आनि(छू.)/12एए/185/SHKMSCT/2013-14

पैन/PAN: AAITS9444C

ਗ: 30.12.2013

ट्रस्ट का नाम/ Name of the Trust.

KURMI MEMORIAL SHREE HARISHCHANDRA SHIVAM CHARITABLE TRUST

C-4, Shivam Medical Hospital, Satyanarayan Society, Gor No Kuvo Road,

Maninagar(E), Ahmedabad-380008

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT, 1961 IN THE CASE OF SHREE HARISHCHANDRA KURMI MEMORIAL SHIVAM CHARITABLE TRUST श्री हरशिचन्द्र कुर्मि मेमोरियल शिवम चेरीटेबल ट्रस्ट के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत

उक्त ट्रस्ट/संस्थान ने दिनांक 05.07.2013 को फॉर्म सं 10ए में आवेदन किया है ट्रस्ट का गठन/ निर्माण दिनॉक 12.07.2007 को हुआ है और ट्रस्ट का चैरिटी कमिश्नर के पास पंजीकरण दिनॉक 12.07.2007 का हुआ है। The above named Trust/Institution has filed an application in Form No. 10A on 05.07.2013 Which has been created / constituted on 12.07.2007 and registered with Charity Commissioner / Registrar of Society on 12.07.2007.

तदनुसार,ट्रस्ट/संस्थान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के तहत 05.07.2013 से पंजीकृत किया जाता है. Accordingly, the Trust/Institution has been registered u/s. 12AA of the I.T. Act 1961, with effect from 05.07.2013 (i.e. F.Y.-2013-14 and A.Y.2014-2015)

इस प्रमाण पत्र द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12एए के अंतर्गत केवल पंजीकरण किया गया है इससे धारा 11,12 व 13 या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य उपबन्धों के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है. इनके बारे में निर्धारण अधिकारी योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा.

This certificate testifies to the fact of registration u/s. 12AA of the I. T. Act, 1961 only. It does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12, & 13 or any other provisions of the IT Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है । This Certificate is issued subject to following condition:

न्यास अपरिवर्तनीय होना चाहिए । यद्धपि, कुछ कारणों से न्यास भंगीय है तब सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास को स्थानांतरित की जा सकती है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम 1950 के प्रावधान अनुसार। वह अन्य न्यास उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास ।